

प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।

अनुदान सं०-14

लेखाशीर्षक-2515001011800

संख्या-1/शा०/03/2020-1/73/2020

लखनऊ

दिनांक 24 जून, 2020

विशय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं०-14 में डॉ० राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू०-405.00 लाख का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, पंचायतीराज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश सं०-29/2020/1024/33-3-2020-100(33)2015 दिनांक 12.06.2020 (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 अनुदान सं०-14 में डॉ० राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू० 405.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू० 405.00 लाख (रू० चार करोड़ पांच लाख मात्र) संलग्न आवंटन की मदों में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2020/बी०-1-149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्तानुसार आवंटित धनराशि/जनपदवार आवंटित केन्द्रांश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तों, प्रतिबंधों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय/उपभोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये यह आवंटित की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
3. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
5. उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं०-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101-पंचायतीराज-18-डॉ० राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना के नामे डाला जायेगा।
6. शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं०-4/2018/आर०जी०-1021/दस/2018-मित०-1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
7. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

8. आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में जमा नहीं किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि का व्यय डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना(नई योजना) के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा-निर्देश (गाइड लाइन) के शासनादेश सं0-81/2016/2689/33-3-2016-100(33)/2015 दिनांक 20.10.2016 के अनुसार किया जायेगा।
10. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी मद/कार्य हेतु किया जायेगा।
11. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
12. आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
13. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर योजना प्रभारी इसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।
14. धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित रूप पत्र पर महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज तथा निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-76 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

Kijal Singh
(किंजल सिंह)

निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

संख्या-1/शा10/03/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1 महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज, 211001.
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. उपसचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. उप निदेशक(पं0)/योजना प्रभारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0।
7. एस0पी0एम0यू0 सेल, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

Brijesh Kumar
(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज उ0प्र0।